रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 1999/भाद्र 10, 1921
No. 537] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 1999/BHADRA 10, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1999

का. आ. 704 (अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है कि हरियाणा होटल्स लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एस सी ओ नं. 17-18-19, सेक्टर-17 बी, चंडीगढ़ में है, के साथ हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एस सी ओ नं. 17-18-19, सेक्टर-17 बी, चंडीगढ़ है, का समामेलन, समेकित करने के लिए एक अस्तित्व करने के प्रयोजन के लिए और दोहरे प्रयास तथा व्यय न करके घटी लागत पर उपलब्ध स्त्रोतों का, जिनमें कामकाज की पूँजी और संपूर्ण कारबार की योजनाबद्ध अभिवृद्धि भी सम्मिलित है, दक्षतापूर्वक उपयोग करने के लिए, किया जाना चाहिए।

और हरियाणा होटल्स लिमिटेड ने हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ अपने समामेलन का अनुमोदन 23 फरवरी, 1998 को हुए असाधारण आम अधिवेशन में कम्पनी के शेयर धारकों द्वारा पारित संकल्पों द्वारा कर दिया है;

और हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ ने हरियाणा होटल्स लिमिटेड के साथ अपने समामेलन का अनुमोदन 23 फरवरी, 1998 को हुए असामान्य साधारण अधिवेशन में पूर्ववर्ती कम्पमी के शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्पों द्वारा कर दिया है :

और उपरोक्त दो कंपनियां, अर्थात् हरियाणा होटल्स लिमिटेड, चंडीगढ़ और हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के साथ समामेलन की स्कीम के प्रस्तावित आदेश का एक प्रारूप आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों को भेजा गया था;

और हरियाणा होटल्स लिमिटेड, चंडीगढ़ का हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के साथ समामेलन की स्कीम आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए 28 अगस्त, 1998 को ''जनसत्ता'' में जो समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया जाता है और 28 अगस्त, 1998 को ''दि इंडियन एक्सप्रेस'' में, जो समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशित की गई थी;

और हरियाणा होटल्स लिमिटेड, के कर्मचारियों के आक्षेपों और सुझावों के सिवाय अन्य कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे, जिन पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक पूर्वक विचार कर लिया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की धारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा होटल्स लिमिटेड का हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, के साथ समामेलन का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम—इस आदेश का संक्षिप्त नाम हरियाणा होटल्स लिमिटेड, और हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1999 है।

2. परिभाषा—इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है;

(ख) "विघटित कम्पनी" से हरियाणा होटल्स लिमिटेड अभिप्रेत है;

(ग) "परिणामी कम्पनी" से हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है;

3. (क) 31 मार्च, 1997 को दोनों कम्पनियों का शेयर धारण स्वरूप निम्नलिखित रूप में है :—

(i) हरियाणा होटल्स लिमिटेड

क्रम सं.	शेयरधारकों के नाम	10 रु. प्रत्येक साधारण शेयरों की संख्या	साधारण शेयर पूंजी की रकम (रु.)
1.	हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड	36,29,133	3,62,91,330
2.	हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड के नामनिर्देशिति	7	70
	कुल	36,29,140	3,62,91,400

(ii) दि हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड :—

क्रम सं.	शेयरधारकों के नाम	100 रु. प्रत्येक साधारण शेयरों की संख्या	साधारण शेयर पूंजी की रकम (रु.)
1.	हरियाणा के राज्यपाल	11,50,366	11,50,36,600
2.	हरियाणा के राज्यपाल के नामनिर्देशिति	5	500
	कुल	11,50,371	11,50,37,100

(ख) विघटित कम्पनी के सभी शेयर को अब हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड और उनके नामनिर्देशितियों के नाम में धारित हैं, रद्द हो जाएगें;

(ग) चूँकि सम्पूर्ण शेयरपूंजी हरियाणा के राज्यपाल और उनके नामनिर्देशितियों के नाम धारित है, अत: परिणामी कम्पनी से यह अपेक्षा नहीं होगी कि ऐसे व्यक्तियों को आगे और कोई सूचना भेजे जिनके नाम विघटित कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में नियत दिन के ठीक पूर्व अंकित हो :—

4. **कम्पनियों का समामेलन**— (i) नियत दिन से ही, हरियाणा होटल्स लिमिटेड का समस्त कारोबार, और उपक्रम, जहाँ भी है, जैसा भी है जिसके अन्तर्गत सभी सम्पत्तियां, चाहे जंगम हो या स्थावर और अन्य आस्तियां है चाहे वे जिस प्रकृति की हो, जिसके अन्तर्गत मशीनरी और सभी स्थिर आस्तियां, पट्टे, अधिधृति, अधिकार, शेयरों में या अन्यथा विनिधान, व्यापार स्टाफ, कर्मशाला औजार, अभिवाहन में माल, सभी किस्म के धनों के अग्रिम, बही खाता, ऋण, बकाया धन, वसूली योग्य दावे, करार, औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियां और परमिट, आवास और अन्य अनुज्ञप्तियां, आशयपत्र और प्रत्येक वर्णन के सभी अधिकारी और शक्तियां आती हैं, किन्तु विघटित कम्पनी की उक्त सम्पत्तियों को प्रभावित करने वाले सभी बंधक और प्रभार और अंडमान, प्रत्याभूतियां, और किसी भी प्रकार के सभी अधिकारों के अधीन रहते हुए बिना किसी आगे की कार्रवाई और कृत्य के, प्रदत्त विधि के अनुसार परिणामी कम्पनी को अन्तरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे या अन्तरित और उसमें निहित समझे जाएंगे।

(ii) लेखाकर्म के प्रयोजन के लिए, समामेलन उक्त दोनों कम्पनियों के 31 मार्च, 1997 को संपरीक्षित लेखाओं और तुलनपत्रों के प्रति निर्देश से प्रभावी किया जाएगा और उसके पश्चात् के संव्यवहार एक शामीलाती खाते में पूल किए जाएंगे। विघटित कम्पनी से किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उसके अन्तिम खाते तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और परिणामी कम्पनी 31 मार्च, 1997 की तुलनपत्र के अनुसार सभी आस्तियां और दायित्व ग्रहण करेगी और उसके पश्चात् के सभी संव्यवहारों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी।

स्पष्टीकरण—विघटित कम्पनी के अंडरटेकिंग के अन्तर्गत विकास रिबेट आरक्षित, यदि कोई है सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी सम्पत्ति चाहे जंगम हो या स्थावर आती हैं जिसके अन्तर्गत नकद अतिशेष, आरक्षितियां, राजस्व अधिशेष, विनिधान, ऐसी सम्पत्ति में या उससे उदभूत सभी अन्य हित और अधिकार, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कम्पनी के हों उसके कब्जे में हों और उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे दस्तावेज और विघटित कम्पनी के तब विद्यमान किसी भी किस्म के सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं भी आते हैं।

5. **सम्पत्ति की कुछ मदों का अन्तरण** :—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, नियत दिन को विघटित कम्पनी के सभी लाभ या हानियां, या दोनों, यदि कोई है, और विघटित कम्पनी की राजस्व आरक्षितियां या कमियां या दोनों, यदि कोई है, जब परिणामी कम्पनी को अन्तरित होती है तो वे परिणामी कम्पनी के, यथास्थिति, क्रमश: लाभ या हानियों और राजस्व आरक्षितियां या कमियों का भाग रूप होंगे।

6. संविदाओं आदि की व्यावृत्ति :—इस आदेश में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार और किसी भी प्रकृति के अन्य लिखित, जिसकी विघटित कम्पनी पक्षकार हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान है या प्रभाव रखते हैं, परिणामी कंपनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णत: बलशील और प्रभावी होंगे और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत्त किया जा सकेगा, मानो परिणामी कंपनी उसकी विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णत: बलशील और प्रभावी होंगे और उन्हें वैसे ही प्रभावी रूप में प्रवृत्त किया जा सकेगा, मानों परिणामी कंपनी उसकी एक पक्षकार रही हो।

7. विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति :—यदि नियत दिन को, विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन, अपील या किसी भी प्रकृत्ति की अन्य विधिक कार्यवाही लम्बित हो, तो विघटित कम्पनी के उपक्रम के परिणामी कम्पनी का अन्तरण हो जाने या इस आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण दूसरा उपसमन नहीं होगा या वह रोकी नहीं जाएगी या किसी प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी, किन्तु वाद अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही उसी रीति से और उसी सीमा तक परिणामी कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, अभियोजन किया जा सकेगा और प्रवृत्त की जा सकेगी जिस प्रकार यदि यह आदेश न किया गया होता तो विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रहती, अभियोजित किया जाता और प्रवृत्त रहती।

8. कराधान की बाबत उपबंध :—1 अप्रैल, 1991 तथा उसके पश्चात् विघटित कम्पनी द्वारा किए गए कारोबार के लाभों और अभिलाभों (जिसके अन्तर्गत संचित हानियां और अनामेलित अवक्षयण भी हैं) की बाबत सभी कर, परिणामी कम्पनी द्वारा ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन रहते हुए संदेय होंगे, जो इस समामेलन के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात की जाएं।

9. विघटित कम्पनी के अधिकारी और अन्य कर्मचारी (की बाबत विघटित कम्पनी में निदेशकों को छोड़कर) नियत दिन से परिणामी कम्पनी का, यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगा और उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जो वह विघटित कम्पनी में धारण करता यदि यह आदेश न किया गया होता और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि परिणामी कम्पनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या पारस्परिक सहमति द्वारा उसका पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों में सम्यक्रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है।

10. निदेशकों की स्थिति :—विघटित कम्पनी का प्रत्येक निदेशक, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण किए हुए हैं, नियत दिन को विघटित कम्पनी का निदेशक नहीं रह जाएगा।

11. भविष्य-निधि, अधिवर्षिता, कल्याण और अन्य विधियां :—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबन्धों के अनुपालन के अधीन रहते हुए विघटित कम्पनी द्वारा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्य-निधि या अधिवर्षिता निधि या कल्याण निधि और किसी अन्य निधियों के न्यासी नियत दिन को न्यास की निधियों का अन्तरण परिणामी कम्पनी को करेंगे, जो ठीक नियत दिन से उपरोक्त धन का एक या अधिक न्यासों में गठन करेंगे जिनके उद्देश्य निबन्धन और शर्तें वही होंगी जो विद्यमान न्यास की हैं या उक्त विद्यमान निधियों का परिणामी कम्पनी के तत्स्थानी एक या अधिक न्यासों को अन्तरण किया जा सकेगा और विघटित कम्पनी तथा परिणामी कम्पनी द्वारा स्थापित न्यास के हिताधिकारियों के अधिकारों और हितों को किसी भी रूप में कम या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

12. भविष्य-निधि की सदस्यता :—विघटित कम्पनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की स्कीम के अधीन कर्मचारी भविष्य-निधि के सदस्य बने रहेंगे जिसके कि वे सदस्य हैं और परिणामी कम्पनी, राजपत्र में आदेश के प्रकाशन के नियत दिन से इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत उक्त कर्मचारी भविष्य-निधि में नियोजक का अभिदाय उसी दर से करेंगी और करती रहेंगी, जिस दर से विघटित कम्पनी करती रही हैं।

13. हरियाणा होटल्स लिमिटेड का विघटन :—इस आदेश के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से ही हरियाणा होटल्स लिमिटेड का विघटन हो जाएगा और कोई व्यक्ति, विघटित कम्पनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या अधिकारी के विरुद्ध उसकी ऐसे निदेशक या अधिकारी की हैसियत में न तो कोई दावा करेगा, कोई मांग करेगा और न ही कोई कार्यवाही करेगा, सिवाय वहां तक जहां तक आदेश है उपबन्धों को प्रवृत्त करने के लिए आवश्यक हो।

14. कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण :—केन्द्रीय सरकार, इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र जालन्धर स्थित कम्पनी रजिस्ट्रार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को इस आदेश की एक प्रति भेजेगा, जिसकी प्राप्ति पर कम्पनी रजिस्ट्रार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र परिणामी कम्पनी द्वारा विहित फीस का संदाय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा। उसके पश्चात् रजिस्ट्रार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र विघटित कम्पनी के संबंध में उसके पास रजिस्ट्रीकृत, अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेज हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसके साथ विघटित कम्पनी का समामेलन किया गया है, की फाइल में रखेगा और इन्हें समेकित करेगा और इस प्रकार समेकित दस्तावेजों को अपनी फाइल में रखेगा।

15. परिणामी कम्पनी के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद :—हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद, जिस रूप में वे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान हैं, नियत दिन से ही परिणामी कम्पनी के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद हो जाएंगे।

[फा. सं. 24/2/98-सी. एल. III]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 1st September, 1999

S.O. 704(E).— Whereas the Central Government is satisfied that it is essential in the public interest that the Haryana Hotels Limited, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (I of 1956) having its registered office at SCO No. 17-18-19,Sector -17B, Chandigarh should be amalgamated with the Haryana Tourism Corporation Limited, a Government company incorporated under the companies Act, 1956 (I of 1956) having its registered office at SCO No. 17-18-19, Sector-17B, Chandigarh for the purpose to form a single entity to consolidate and further make efficient use of available resources including working capital and planned growth of the business as a whole at reduced cost by eliminating duplicacy of efforts and expenses;

And whereas the Haryana Hotels Limited approved its amalgamation with the Haryana Tourism Corporation Limited by resolutions passed by the shareholders of the company in the extraordinary general meeting held on the 23rd February 1998;

And whereas the Haryana Tourism Corporation Limited Chandigarh approved the amalgamation with it of the Haryana Hotels Limited Chandigarh by resolution passed by the shareholders of the former company in the extraordinary general meeting held on the 23rd February, 1998;

And whereas a copy of the proposed order for amalgamation was sent in draft to the aforesaid companies namely, the Haryana Hotels Limited, Chandigarh and the Haryana Tourism Corporation Limited, Chandigarh for its publication in two newspapers inviting objections and suggestions;

And whereas the scheme of amalgamation of the Haryana Hotels Limited, Chandigarh with the Haryana Tourism Corporation Limited, Chandigarh was published on the 28th August, 1998 in "Jansatta" being a newspaper published in regional language and on the 28th August, 1998 in the Indian Express, being a newspaper published in English language for inviting objections and suggestions;

And whereas no objections and suggestions were received except from employees of the Haryana Hotels Limited, which have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central government hereby makes the following Order to provide for the amalgamation of the Haryana Hotels Limited with the Haryana Tourism Corporation Limited, namely ;

1. Short title :- This Order may be called the Haryana Hotels Limited and the Haryana Tourism Corporation Limited (Amalgamation) Order, 1999.

2. **Definitions**:- In this Order, unless the context otherwise requires :-

(a) "appointed day" means the date on which this Order is notified in Official Gazette;

(b) "dissolved company" means the Haryana Hotels Limited;

(c) "resulting company" means the Haryana Tourism Corporation Limited;

3.(a) The shareholding pattern as on the 31st March, 1997 of the two companies is as under :-

i) Haryana Hotels Limited :-

Serial number	Name of shareholders	Number of equity shares of Rs.10/- each	Amount of equity share Capital. Rs.
1.	The Haryana Tourism Corporation Limited	36,29,133	3,62,91,330
2.	Nominees of the Haryana Tourism Corporation Limited.	7	70
	Total	36,29,140	3,62,91,400

ii) The Haryana Tourism Corporation Limited :-

Serial number	Name of shareholders	Number of equity shares of Rs.100/- each	Amount of equity share Capital. Rs.
1.	Governor of Haryana	11,50,366	11,50,36,600
2.	Nominees of the Governor of Haryana	5	500
	Total	11,50,371	11,50,37,100

(b) all the shares of the dissolved company which are now held in the name of the Haryana Tourism Corporation Limited and its nominees shall be cancelled:

(c) since the entire share capital is held in the name of the Governor of Haryana and his nominees, the resulting company shall not be required to send any further notice to the persons, whose names appear immediately before the appointed day in the Register of members of the dissolved company;

4. **Amalgamation of Companies** -(i) On and from the appointed day, the entire business and undertaking of the Haryana Hotels Limited as is where is, including all the properties, movable or immovable and other assets of whatsoever nature, including machinery and all fixed assets, leases, tenancy rights, investments in shares or otherwise, stock-in-trade, workshop tools, goods-in-transit, advances of monies, all kinds of book debts, outstanding monies, recoverable claims, agreements, industrial and other licences and permits, imports and other licences, letters of intent and all rights and powers of every description, but subject to all mortgages and charges and hypothecation, guarantees, and all rights whatsoever, affecting the said properties of dissolved company shall without further act or deed be transferred to and vest in or deemed to be transferred to and vest in the resulting company in accordance with law in force.

(ii) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as at the 31st March, 1997 of the said two companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common account. The dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any latter date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance sheet as at the 31st March, 1997 and accept full responsibility for all transactions thereafter.

Explanation:- The undertaking of the dissolved company shall include Development Rebate Reserve, if any, all rights, powers, authorities and privileges and all property movable or immovable including cash balances, reserves, revenue balances, investments, all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to or be in the possession of the dissolved company immediately before the appointed day and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities, duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.

5. **Transfer of certain items of property** :- For the purpose of this Order, all the profits or losses, or both, if any, of the dissolved company as on the appointed day and the revenue reserves or deficits or both. if any, of the dissolved company when transferred to the resulting company shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits, as the case may be, of the resulting company.

6. **Saving of contracts etc :-** Subject to the other provisions contained in this Order, all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day, shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectually as if, the resulting company had been a party thereto.

7. **Saving of legal proceedings :-** If on the appointed day, any suit, prosecution, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the dissolved company are pending, the same shall not abate or be discontinued, or be in any way prejudicially affected by reasons of the transfer to the resulting company of the undertaking of dissolved company or of anything contained in this Order, but the suit, prosecution, appeal or other legal proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would have or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company if this Order had not been made.

8. **Provision with respect to taxation:-** All taxes in respect of profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved company on and from 01.04.1997 shall be payable by the resulting company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

9. **Provisions respecting officers and other employees of the dissolved company** :- Every wholetime officer or other employee (excluding the directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day, in the dissolved company shall as from the appointed day, become an officer or employee as the case may be, of the resulting company and shall hold the office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as he or she would have held the same under the dissolved company, if this Order had not been made, and shall continue to do so unless and until his or her employment in the resulting company is duly terminated or until his or her remuneration and conditions of employment are duly altered by mutual consent.

10. Position of directors :- Every director of the dissolved company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a director of the dissolved company on the appointed day.

11. Provident, Superannuation, Welfare and other Funds:-Subject to the compliance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) the trustees of the Provident Fund or Superannuation Fund or Welfare Fund and any other funds established by the dissolved company for the benefit of its officers and employees shall transfer funds of the Trust as on the appointed day to the resulting company, who shall immediately from the appointed day constitute the above moneys into one or more trusts with the

objects, terms and conditions similar to those of the existing trust or the said existing funds may be transferred to one or more corresponding trust of the resulting company and the rights and interests of the beneficiaries of the trust established by the dissolved company and resulting company shall not in any way be diminished or prejudiced.

12. **Membership of the Provident Fund** :- All officers and employees of the dissolved company shall continue to be members of the Employee"s Provident Fund under the Scheme of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) of which they are members and the resulting company shall with effect from the appointed day of publication of the Order in Official Gazette make and continue to make the employer's contributions to the said employee's provident fund in respect of these officers and employees at the same rates as were being made by the dissolved company.

13. **Dissolution of the Haryana Hotels Limited** :- Subject to the other provisions of the Scheme, as from the appointed day, the Haryana Hotels Limited shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the dissolved company or against a director or any officer thereof in his capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

14. **Registration of the Order by the Registrar of Companies:-** The Central Government, shall as soon as, may be after the Order is notified in the Official Gazette, send to the Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh at Jalandhar a copy of the Order, on receipt of which the Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh shall register the Order on payment of the prescribed fees by the resulting company and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of the Order. Thereafter the Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh shall place all documents registered, recorded or filed with him relating to the dissolved company on the file of the Haryana Tourism Corporation Limited with whom the dissolved company has been amalgamated and consolidate these and shall keep such consolidated documents on his file.

15. **Memorandum and Articles of Association of the Resulting Company :-** The Memorandum and Articles of Association of the Haryana Tourism Corporation Limited as they stood immediately before the appointed day shall, as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting company.

[F. No. 24/02/98/CL–III]

R. D. JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.